## दिल्लो <u>विधान तभा सचिवालय</u> तमाचार भाग - 2

§ विधायी तथा अन्य मामलों ते सम्बन्धित सामान्य जानकारी हूं मंगलवार, 20 अप्रैल, 1999 / चैत्र 30, 1921 हुंशकहूं

संख्या : 35

....

## सदस्य को नज़रबंदी उर्व रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तमा को तम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 19.4.99 को प्राप्त हुआ:-

> "मुझे आपको ततम्मान तूचित करना है कि दिल्ली विधान तभा के माननीय तदस्य श्री योगानन्द शास्त्री को उनके अन्य तमर्थकों तहित दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अन्तर्गत ती-घटकोण राजपथ, नई दिल्ली ते पुलित के विधि-तम्मत् निर्देशों को अवझा करने के कारण दिनांक 11.04.99 को पूर्वाह्न 10.44 बजे नज़रबंद किया गया 1

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी स्थान से उसी दिन अर्थात ।।• ०५• १९९९ को पूर्वाह्न ।।• ।० बजे रिहा कर दिया गया ।"

> रतः के शर्मा तिचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, April 20, 1999 / Chaitra 30, 1921 (Saka)

No.35

## DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 19.04.1999:-

"I have the honour to inform you that Shri Yoganand Shastri, Hon ble member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the police at C-Hexagon Rajpath, New Delhi on 11.04.1999 at 10.44 A.M.

He was released alongwith his supporters at 11.10 A.M. from the same place on the same day i.e. 11.04.1999."